



नियम छात्रवृत्ति और अन्य धांधली को रोकने के लिए लिया गया निर्णय

शिक्षा में धांधली रोकने का हथियार बना 'आधार'

नीलम ईंहे • मुख्यमन्त्री

प्रदेश सरकार अब शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए तकनीक रूप से नियमों को सख्त किया जा रहा है, ताकि धांधली को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। शासन ने सभी स्तर पर आधार नंबर को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। स्नातक या तकनीकी कक्षाएँ में दाखिले के लिए आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना पहले से ही अनिवार्य था। अब हाईस्कूल, इंस्टीट्यूट और पॉलीटेक्निक की परीक्षा भी विना



नए शैक्षिक सत्र से पंजीकरण के दौरान आधार नंबर देना आवश्यक हो जाएगा। इससे सरकार के पास छात्र की पूरी जानकारी मौजूद होगी और फर्जी एडमीशन पर रोक लग सकेंगी। सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा वास्तविक छात्रों को मिलेगा।

संजय कुमार, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी।

आधार के नहीं दी जा सकती है।

यूपी बोर्ड के विद्यालयों में नकल माफिया पर नकल करने का काम शुरू हो गया है। तब पहले जिन माझ्यामें से छात्रों

जागरण विशेष

पंजीकरण से शुरू हो जाती है कमाई

हाईस्कूल व इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में उगाई की शुरूआत कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के समय से ही हो जाती है। नाम बदलकर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर छात्र सख्त बढ़ाई जाती है और बाद में काफी हद तक अपनी पसंद से परीक्षा केंद्र भी बनवा लिए जाते हैं। वहां पर नकल करने के लिए मनमाफिक रकम वसूली जाती है।

हाईस्कूल की परीक्षा में बैठ जाता है। आधार नंबर लागू होने से नाम बदलकर परीक्षा देने पर भी शक्त लगेंगी।

फर्जी छात्र संख्या से हड्डपते हैं छात्रवृत्ति

शासन द्वारा छात्रों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें छात्रवृत्ति सहसे प्रमुख है। शिक्षा माफिया फर्जी छात्रों को दिखाकर शासन से छात्रवृत्ति की रकम भी ऐंठते हैं। अब कक्षा नौ और 11 में पंजीकरण के दौरान छात्रों को आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।

को प्रवेश दिलाते थे, एक-एक कर उन्हें बंद किया जा रहा है। इस पर नकल के लिए आधार कार्ड हथियार बनकर उभर रहा है।

इसमें कई बार अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा हो जाती है और उसका चयन नहीं हो पाता है। तो वह दोनाये से नाम बदलकर